



केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA REFINERY NAGAR MATHURA
CBSE AFFI. CODE NO. 2100020
TEL.PH. 0565-2416171, 2430854 FAX-2430854E-
MAIL- kv.mathurarefinery@gmail.com
Website-www.mrpmathra.kvs.ac.in

File No.26011/KVMRN/CONDMENATION/2023-24/

Date: 10.07.2023

नीलामी सूचना

विद्यालय के पुराने कम्प्यूटर, पुस्तकालय एवं अन्य विभागों की रद्दी (लगभग 15 क्विंटल) एवं निरस्ती हुये पुराने एवं मरम्मत न होने लायक वस्तुओं की नीलामी द्वारा बिक्री दिनांक 15/07/2023 को प्रातः 10 बजे करना सुनिश्चित किया गया है। इच्छुक व्यक्ति, फ़र्म, समूह, ठेकेदार, दिनांक **11/07/2023** से **14/07/2023** तक दोपहर 1 से 2 बजे के अंतराल में विद्यालय में उपस्थित होकर, सामान को भौतिक रूप से **जहां है जैसा है** के आधार पर वस्तुओं का निरीक्षण कर सकते हैं ।

वस्तुओं का निरीक्षण करने के बाद, उनका कोटेशन रेट लेटर पैड पर जिसमें उसका पूर्ण पोस्टल पता फोन व मोबाइल नंबर अंकित हो, हस्ताक्षर सहित नीलामी के समय समिति के सदस्यों को सोप दे। भारत सरकार व केन्द्रीय विद्यालय संगठन के निर्देशानुसार कम्प्यूटर संबन्धित सामान की खरीद हेतु केवल प्राधिकृत संस्था / व्यक्ति ही नीलामी में भाग ले सकते हैं । भाग लेने वाले व्यक्ति को फर्म का पेन कार्ड / जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति एवं सरकार द्वारा कम्प्यूटर सामग्री निस्तारण हेतु प्राधिकृत किए जाने हेतु जारी प्रमाण पत्र कोटेशन के साथ अवश्य जमा कराएं ।

अन्य नियम एवं शर्तें (Terms and Condition) के लिए विद्यालय की वेब साईट mrpmathra.kvs.ac.in को देखें ।

1. बोली लगाने वाले को केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नियमों का पालन करना होगा ।
2. सुरक्षित मूल्य नीलामी के समय सूचित किया जाएगा
3. यदि सफल बोली बोलने वाला वस्तुओं का मूल्य भुगतान करने में असफल रहता है तो उससे अगले बोली बोलने वाले को बेचा जाएगा ।
4. 1000/- रुपये EMD (Refundable) के रूप में **RTGS/NEFT/ DD in favour of " PRINCPAL KV MRN VVN AACOUNT"** के द्वारा खाता संख्या 518702050000383 **IFSC Code UBIN0575909 , KRISHNA VIHAR MATHURA** में जमा करना होगा ।
5. सफल व्यक्तियों/ फ़र्म को वस्तुओं का मूल्य उसी दिन **RTGS/NEFT/ DD in favour of " PRINCPAL KV MRN VVN AACOUNT"** के द्वारा खाता संख्या 518702050000383 **IFSC Code UBIN0575909 , KRISHNA VIHAR MATHURA** में जमा करना होगा ।
6. नीलाम की गई वस्तुओं को उसी दिन विद्यालय से बाहर ले जाना होगा ।